

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :-2022/18

प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022

तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र नारायण ब्राहमण निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.04.2026

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा रामनिवास पुत्र नारायण निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 54 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम नीमोद तहसील मलारना डूंगर में आवंटन आदेश 09.06.1974 द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा-16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (चरागाह) से आवंटन होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि रामनिवास पुत्र नारायण निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आवंटितशुदा भूमि 54 रकबा 0.25 है0 पर भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का निमोद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर पडत है तथा आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं है। पेरोकार ने यह भी तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 186 के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि चरागाह है। आवंटी को आवंटित भूमि चरागाह आवंटन होने के कारण नियमानुसार खारिज योग्य है। अतः पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।



रज


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थी आदिनांक तक असालतन एवं वकालतन उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुसार रामनिवास पुत्र नारायण निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 54 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम नीमोद आवंटित की गई थी। भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का निमोद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर पडत है तथा आवंटी का कब्जाकाशत नहीं है। इस प्रकार आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 186 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त आवंटित भूमि चरागाह भूमि से आवंटित की गई है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा-16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (चरागाह) होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है। अतः मेरी राय में तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नीमोद के आराजी ख0नं0 54 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम नीमोद को राजस्व अभिलेख में पुनः चरागाह दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर